

प्ररूप संख्या 26

(प्ररूप – 26 (नियम 53 देखिये))

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए आवेदन

(यदि यान अवक्रय करार/आडमान/पट्टा करार के अधीन धारित हो, तो दो प्रतियों में, यदि मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी भिन्न हो, तो तीन प्रतियों में आवेदन किया जाएगा। द्वितीय प्रति और तृतीय प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन करने के साथ ही वित्तपोषक और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को दूसरा (डुप्लीकेट) प्रमाण पत्र जारी करते ही भेज दी जावेगी।)

सेवा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

महोदय, मेरे/हमारे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह है, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया है / नष्ट हो गया है / पूर्ण रूप से अपलिखित हो गया है / गल गया है / फट गया है / विकृत हो गया है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी से यान का रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन निलम्बित या रद्द नहीं किया गया है और ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियां सही हैं।

मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति दिये जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

अपलिखित/ गला हुआ/ फटा हुआ/ विकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

यान अवक्रय करार/ पट्टा करार/ आडमान के अधीन धारित नहीं है।

मैंने/हमने ऐसे खोने की रिपोर्ट पता चलते ही तुरन्त तारीख को पुलिस थाने में कर दी है। (प्रति संलग्न)

तारीख पूरे पते सहित आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
टिप्पणी – जो लागू न हो उसे काट दें

यान के साथ किये गये अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित है और वित्तपोषक से प्राप्त 'निरपेक्ष प्रमाण-पत्र' संलग्न है/इन्कार कर दिया गया है।

(जहां " निरापेक्ष प्रमाण-पत्र" इन्कार कर दिया है वहां आवेदक धारा 51 की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार घोषणा करेगा)

स्वामी के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिन्ह
नाम

पूरा पता

टिप्पणी – 1. परिस्थितियों की पूर्ण विशिष्टियां, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने या नष्ट होने की दशा में दी जाएं

2. जो लागू न हो उसे काट दें

" निरापेक्ष प्रमाण पत्र " (नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की स्वीकृति के लिए वित्तपोषक की सहमति (धारा 51(6) के अधीन)

मुझे/हमें ऊपरिवर्णित मोटर यान के बारे में अवक्रय/पट्टा/आडमान के करार के पक्षकार के रूप में –

(1) उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने पर कोई आक्षेप नहीं है।

(2) उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने पर, निम्न कारणों से, आक्षेप है

दिनांक

हस्ताक्षर वित्त-पोषक

कार्यालय पृष्ठांकन के लिये

संख्यांक तारीख को कार्यालय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, ऊपर अनुरोध किए गए रूप, को किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के नोट सहित जारी की जाती है और मूल रजिस्ट्रीकरण अभिलेख के प्ररूप-24 में उसे नोट कर लिया गया है

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में

(वित्त-पोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के अधीन परिदत्त।

रजिस्ट्रीकृत स्वामी और वित्त-पोषक के नमूने के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिन्ह मूल आवेदन पर प्रारूप-23 और प्रारूप-24 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय मोहर सहित सत्यापन के लिये जायेंगे, उन पर यह मोहर का चिन्ह व सत्यापन इस प्रकार किया जाएगा कि वह ऐसे हस्ताक्षरों पर पड़े।

वित्त-पोषक के नमूने के हस्ताक्षर

1.

1.

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूने के हस्ताक्षर

2.

2.

उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों के सत्यापन के पश्चात् संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जायेगा।